बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

का०आ०–भवन–03/स्था०विविध–01/2025 ..../पटना दिनांक– ....

–:: आदेश ::–

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर एस०एल०पी०(सी०) संख्या–7257/2023 शशि भूषण प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में दिनांक–04.10.2024 को पारित न्यायनिर्णय के आलोक में बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–19 दिनांक–01.01.2025 द्वारा विज्ञापन संख्या–01/2019 के तहत भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी थी। इन सभी अनुशंसित अभ्यर्थियों का दिनांक–20.01.2025 से 24.01.2025 तक आयोग द्वारा भेजे गए डोजियर के अनुरूप प्रमाण–पत्रों का सत्यापन किया गया। उक्त अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम में अनुपस्थित अभ्यर्थी को अंतिम अवसर देते हुये आवश्यक सूचना ज्ञापांक–11546(भ) दिनांक–22.09.2025 द्वारा दिनांक–30.12.2025 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से कार्यालय अवधि तक भवन निर्माण विभाग के छठे तल पर अवस्थित सभाकक्ष में प्रमाण–पत्र/वांछित अभिलेख का सत्यापन कार्यक्रम आयोजित किया गया।

उक्त कॉउंसिलिंग में मात्र 01 (एक) अभ्यर्थी उपस्थित हुये, जिन्हें अधोलिखित शर्त्तो के अधीन कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन स्तर–07 एवं समय समय पर स्वीकृत अनुमान्य अन्य भत्तों के साथ परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है :–

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम/गृह जिला	पिता/पति का नाम/स्थायी पता	पंजीयन सं०	आयोग द्वारा अनुशंसित समेकित सीरियल नंबर	जन्म तिथि	आवेदन की कोटि/चयनित कोटि/अनुशंसित कोटि	नियुक्त अभ्यर्थी का छायाचित्र
1.	श्री राकेश कुमार /मुजफ्फरपुर	राजेन्द्र दास/ ग्राम–राजापुर, पोस्ट–डिहुली, थाना–सकरा, जिला–मुजफ्फरपुर, पिन–843104	BR001500 10079020	1161	20.06.1988	UR/UR/ 40-UR	

2. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित शपथ–पत्र एवं सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं को प्रथम दृष्टया सही मानकर एवं पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही हैं। सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।

3. यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा समर्पित शपथ–पत्र के आधार पर शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण–पत्रों को सही मानकर इस शर्त्त पर की जा रही है, कि भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों/अभिलेखो के संबंध में गलत सूचना पायी जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं विधि सम्मत आवश्यक कार्रवाई भी की जायेगी।

4. यह नियुक्ति औपबंधिक रूप से की जा रही है। यदि भविष्य में किसी भी अभ्यर्थी (नवनियुक्त कनीय अभियंता, असैनिक) के विरूद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य/जानकारी अथवा उनसे संबंधित कोई त्रुटि/पार्थक्यता परिलक्षित होती है, तो बिना किसी पूर्व सूचना एवं कारण बताओ नोटिस के किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है।

5. वैसे अभ्यर्थी जो पहले से सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थानों/निकायों में कार्यरत है, उन्हे योगदान के समय नियोक्ता संस्थान के सक्षम प्राधिकार से निर्गत विरमन–पत्र/ स्वीकृत त्याग पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6. सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में निम्न शर्तें अधिरोपित होंगे :–

(i) बिहार सरकार के अंतर्गत संविदा नियोजित कनीय अभियंता नियमित सरकारी सेवक नहीं हैं। अतः आयोग द्वारा नियमित नियुक्ति हेतु उनकी अनुशंसा के क्रम में संबंधित विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC) निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है। नियमित नियुक्ति के उपरांत ऐसे संविदा नियोजित कनीय अभियंता संविदा नियोजन से त्याग पत्र समर्पित करने के अगले दिन ही नियमित नियुक्ति के फलस्वरूप योगदान करेंगे।

(ii) बिहार सरकार के अंतर्गत संविदा नियोजित वैसे कनीय अभियंताओं जिनका आयोग द्वारा चयन के क्रम में संविदा अवधि में किये गये कार्यानुभव के लिए अंक की अधिमानता तथा अधिकतम उम्र सीमा में छूट का लाभ प्रदत्त की गयी होगी, को उनके पदस्थापित प्रमंडल में योगदान के समय उनके नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र की जाँच कर संतुष्ट होना सुनिश्चित करेंगे। कोई प्रतिकूल तथ्य/जानकारी अथवा उनसे संबंधित कोई त्रुटि/पार्थक्यता परिलक्षित होती है, तो बिना किसी पूर्व सूचना एवं कारण बताओ नोटिस के किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है।

(v) जिन संविदा नियोजित कर्मियों के विरूद्ध सम्प्रति अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है, उनके मामले में प्रशासी विभाग द्वारा प्रत्येक मामले को गुणा–गुण के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

(vi) संविदा अवधि में की गयी सेवा का किसी प्रकार का कोई लाभ नियमित नियुक्ति के उपरान्त अनुमान्य नहीं होगा।

7. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या–1964 दिनांक–31.08.2005 एवं 768 दिनांक–03.07.2007 के अनुसार इन कर्मी पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

8. अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

9. नवनियुक्त कनीय अभियंता (असैनिक) के वेतनादि का भुगतान उनके पदस्थापन के उपरान्त नव पदस्थापन कार्यालयों में योगदान की तिथि से देय होगा।

10. नवनियुक्त कनीय अभियंता (असैनिक) के वेतनादि का भुगतान संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा उनके शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों के सत्यापनोपरांत किया जायेगा।

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली/माननीय उच्च न्यायालय, पटना में विज्ञापन संख्या–01/2019 (कनीय अभियंता) के विरूद्ध दायर विभिन्न वादों में पारित होने वाले अंतिम न्याय निर्णय के फलाफल से यह नियुक्ति प्रभावित होगी।

12. भविष्य में किसी प्रकार के त्रुटि अथवा पार्थक्यता पाये जाने पर इसे तदनुसार संशोधित/रदद कर दिया जायेगा।

ह०/–

(सुरेश प्रसाद प्रभाकर)

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त

–सह–विशेष सचिव।

ज्ञापांक–भवन–03/स्था०विविध–01/2025 ..../पटना, दिनांक–..................................

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/–

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त

–सह–विशेष सचिव।

ज्ञापांक–भवन–03/स्था०विविध–01/2025 ..../पटना, दिनांक–..

प्रतिलिपि :– सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभाग, विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/महाधिवक्ता, बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव।

ज्ञापांक–भवन–03/स्था०विविध–01/2025 ..../पटना, दिनांक–..

प्रतिलिपि :–सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव।

ज्ञापांक–भवन–03/स्था०विविध–01/2025 438(अ)/पटना, दिनांक–14/1/26

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख के सचिव प्रावैधिकी/सभी अपर सचिव/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी मुख्य अभियंता (विद्युत सहित)/सभी अधीक्षण अभियंता (विद्युत सहित)/सभी कार्यपालक अभियंता (विद्युत सहित)/सभी अवर सचिव/प्रभारी बजट प्रशाखा/प्रशाखा पदाधिकारी, बजट/आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं नवनियुक्त कनीय अभियंता (असैनिक) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/1/26

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव।